

STATE ELECTION COMMISSION
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
NIGAM BHAWAN, KASHMERE GATE
DELHI-110006

No. SEC/LAW/F.6/275/04 / 4075

Dated the 4th March, 2022

ORDER

Subject :- General Election to three Municipal Corporations of Delhi, 2022 - Fixing of maximum limit of expenditure to be incurred at an election to a ward.

In exercise of the powers conferred under rule 109 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012, I, S.K.Srivastava, State Election Commissioner of N.C.T. of Delhi, hereby fix the maximum limit of expenditure to be incurred by as candidate at an election to a ward of three Municipal Corporations of Delhi viz. North Delhi, South Delhi and East Delhi, to be held hereafter as Rs. 8,00,000/- (Rupees Eight Lakh).



(S.K.SRIVASTAVA)
State Election Commissioner

राज्य चुनाव आयोग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
निगम भवन, कश्मीरी गेट
दिल्ली-110006


No. SEC/LAW/F.6/275/04 / 4075

दिनांक 04 मार्च, 2022

आदेश

विषय : दिल्ली के तीन नगर निगमों के लिए आम चुनाव, 2022 – एक वार्ड के चुनाव में होने वाले खर्च की अधिकतम सीमा का निर्धारण ।

दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियम, 2012 के नियम 109 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एस.के.श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतद्वारा दिल्ली के तीन नगर निगमों उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के एक वार्ड के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में किए जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा रुपये 8,00,000/- (रुपये आठ लाख) तय करता हूँ ।


(एस. के. श्रीवास्तव)
राज्य चुनाव आयुक्त